GoI-UN Joint Programme on Convergence
Monthly Progress Report, for the month of April 2011, District: North Bastar, Kanker

Name and Designation of the Nodal Officer: Mr. N. K. Xaxa
Collector
North Bastar Kanker, Chhattisgarh

1. Progress during the reporting period:

Outputs	Activities planned to achieve this output (put in bullet points)	Timeline			
		W1	W2	W3	W4
1.1	Situational Analysis (initiating consultation for taking status under Infrastructure sector)	■	■		
1.2	Writing case study on district planning experiences		■	■	
1.3	Initiating action for Annual District Plan				■
1.4	Participation in Gram Suraj Abhiyan			■	
2.1	Developed Format for utilisation in key flagship programmes			■	■
2.2	Facilitating the NGO in developing proposal for micro planning	■			
3.1	Facilitation in the LWE MIS/ IAP Progress Updation	■	■		
3.2	Spatial Planning Facilitation	■			
4.1	Participating in the TL meeting	■	■		
4.2	Data Collation of the DPC's study interview schedule	■	■	■	■
4.3	Participating in the workshop on Training Need Assessment for the PESA,	■			

If there is any deviation in the planned activities then pl. specifies what were the issues?

Any Other issue, challenge you would like to mention:

- *Most of the departments were busy in the Gram Suraj, so limited consultation could happen with them.*
- *Some untied fund (2-3 lakhs) should be provided for strengthening district planning processes (For wider consultation, RBM Trainings, workshops etc).*

2. Plan for Next month:

Outputs	Activities planned to achieve this output (put in bullet points)	Timeline			
		W1	W2	W3	W4
1.1	Working on the requirement of the Annual District Plan	■	■	■	
2.1	Review and modification of the Micro planning proposal with PO (M&E), Unicef		■		
2.2	Working on the IAP & LWE MIS requirements	■	■		
3.1	Taking details of the Utilisation under major flagship programmes for year 2011-12		■	■	
4.1	Case Study development on use of drip/ sprinkler in the region	■	■	■	
4.2	Any other task given by District Collector/ Chief Executive Officer	■	■	■	

(the DF would be on personal leave between the 22nd to 28th May, 2011)*

District Facilitator
District: North Bastar, Kanker

1.1 Situational Analysis (initiating consultation for taking status under Infrastructure sector)
Initial Consultation held with the concern department for details of data availability in infrastructural sector. In April, 2011, month the following departments were been contacted for the same – PMGSY, *Bhu- Abhilekh*, Health Department. These departments were consulted for key required information. Still there is a need of the standardized modified formats for the data collection, to be communicated to district officially for Situational Analysis (SA).

1.2 Writing case study on district planning experiences:- Drafted Case Study on the experiences of the district planning in year 2009. (see copy attached **Annexure- 1**). The findings under the draft case study are little critical, to appreciate then need of working on those issues.

1.3 Initiating action for Annual District Plan: A letter was drafted by District Facilitator, for DPSO Office, to get basic details of previous year's budget received and progress made under schemes. This is expected that within next month department would be able to give basic information, about their progress achievements, in financial year 2011-12. This information of previous year budget availability is invariably being used under district plan in previous years too.

1.4 Participation in Gram Suraj Abhiyan:
Participated at district level meeting of gram Suraj Abhiyan and accompanied the CEO, Janpad Panchayat Charama, in Gram Sabhas of 2 villages (Jaipra & Dorka wahi). During discussions the following issues were covered - improving sanitation coverage, immunization, malnutrition, every child (<6 yrs) to be registered in the aaganwadi, no child abstained from school (right to education), improved drinking water management. The CEO Janpad Panchayat, nicely put the issues of concern/ priority to the villagers. The villagers were suggested to be aware to give factual information during BPL survey, to avoid the issues of inclusion and exclusion in BPL lists. The villagers were also told about annual district plan and need of their involvement in the integrated panchayat plan based on actual local situational analysis. In general the *Gram Suraj Abhiyan*, is one of the good approaches that receives utmost priority at the district level, and all the concern line departments approaches to the community for reviewing the effective of the schemes and taking feedback on services. It provides a platform, where the common citizen can share, own views directly to Government face to face. This can be look at one of the good models of convergence, to be streamlined.

2.1 Format for utilisation in key flagship programmes:
Developed format for utilisation in major flagship programmes based on previous year experiences and submitted it at the district level DPSO Office, for taking information from different department on utilisation trend in key flagship programmes. The programmes covered are as: NRHM, ICDS, NRDWP, MGNREGA, RKVY,NRDWP, TSC, BRGF, MDM etc

2.2 Facilitating the NGO in developing proposal for micro planning: Reviewed the draft proposal received from Samarthan (NGO) with PO (M&E), Unicef, Raipur on 8th April 2011 and suggested them to modify the proposal accordingly. Still the final proposal is to be developed before presentation of it to the District level Officials.

3.1 Facilitation in the LWE MIS/ IAP Progress Updation: Facilitated the LWE MIS Progress update at the DPSO Office Kanker. (The status of the progress is attached as per **Annexure -2**.)

3.2 Spatial Planning Facilitation: As per direction and guidance received from CEO, Zila Panchayat, visited CHIPS and had initial discussions with officials at CHIPS on 8th May 2011. Accordingly IAP 2010-11 and BRGF 2011-12 plan of district was shared with CHIPS Raipur. At present, as per the direction of our CEO, ZP- also working on need of, promoting, use of spatial planning through trial use of GYAN software.

4.1 Participating in the TL meeting: Participated in the TL meeting as per schedule

4.2 Data Collation of the DPC's study interview schedule: Did compilation of the data collected from 6 interviewed DPC members and sent filled format to State Convergent Facilitator for further action. As it is schedule to have detailed Group discussions with the DPC members after necessary preparations.

4.3 **Participating in the workshop on Training Need Assessment for the PESA:** Participated in a one day workshop organised by the Zila Panchayat at Zila Panchayat Conference hall, Kanker. Mr. Annamalai from NIRD, Resresentative from SIRD were also present. The workshop was attended by honourable Zila Panchayat members, Japad panchayat members, other public representatives and Government Officials. The objective of the workshop had been to acess where we are?, how much we know?- about PESA. CEO Zila Panchayat also addressed the participants about being sensitive towards the provision under PESA and working on improving its implementation. Besides SWOT analysis, a Group exercise was also done on the issues of PESA implementation at different level.

केस स्टडी – Draft -1

विकेन्द्रीकृत जिला योजना निर्माण – एक चुनौती

73वें व 74वें संविधान संसोधन जो कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित है , के लागू होने के 18 वर्ष पश्चात भी ग्राम पंचायत/ ग्रामों के पास अपना कोई स्व–स्थिति विश्लेषण एंव अपनी सुक्ष्म कार्ययोजना मिल पाना मुश्किल होता है । यह तथ्य उस ओर इंगित करता है कि अभी विकेन्द्रीकृत, एकीकृत योजना निर्माण के क्षेत्र मे स्वशासन की इकाई के रूप मे परिवर्तित करने मे अभी और अधिक प्रयासो और निवेश की आवश्यकता है। वर्तमान केस स्टडी, वार्षिक जिला कार्ययोजना के विभिन्न पहलुओ को सामने लाने का प्रयास है। केस स्टडी, वर्ष 2009 की है लेकिन स्थिति में आज भी कोई बदलाव नही है।

क्या आपके पास कोई रेडीमेट जिला प्लान का फारमेट हैं, जिसमें हम डाटा को डालकर वार्षिक जिला कार्ययोजना बना सकें, यह विचार जिला योजना से जुडे उन अधिकारी के थे, जिन्होंने जिला योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी।

जिला योजना से सम्बन्धित एक मुख्य अधिकारी का कहना था, कि आप क्या कह रहे हैं ग्रम पंचायतों से प्राप्त योजना को, जिला प्लान में शामिल किया जाना; क्या हम राज्य से प्रस्तावित कलेण्डर की समय सीमा में पूरा कर पायेंगें ! वहां देखो, किस प्रकार से विभागों के बीच के आपसी बैठक के माध्यम से ही, बी. आर. जी. एफ.का प्लान कितने आसानी से बनता है।

वास्तव में यह विचार उस व्यवस्था का परिणाम है जिसके माध्यम से विभागीय कार्यों, में अधिकारी प्रायः अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर पाते हैं, लेकिन एक परिकल्पना या वृहद सोच के अभाव में कई महत्वपूर्ण विषयों/ प्राथमिकताओं, पर अपेक्षित प्रतिक्रिया या कार्य प्रभावी रुप से हो पाना एक अलग मुद्दा है।

इन परिस्थितियों के मध्य उसे (तकनीकी सहयोगकर्ता अधिकारी) राज्य से प्राप्त कलेण्डर मे दिये गये गतिविधि जैसे :– गतिविधि मानचित्रण, रिसोर्स इनवल्हप, स्थानीय ग्रमीण एवं शहरी निकायों से प्राप्त योजनाओं का समेकन, आदि अपेक्षाओं का रह–रह कर ध्यान आता है। राज्य से जिले में पदस्थापित उस अधिकारी के लिए यह पहला अनुभव था, कि वह किसी जिले की वार्षिक कार्ययोजना में तकनीकी सहयोग दे। साथ में उसके सामने थी, भारत सरकार के योजना आयोग की नवीन मार्गनिर्देशिका 2009, जो कि एकीकृत विकेन्द्रीकृत कार्य योजना, स्थानीय योजना निर्माण के महत्व और अन्य सबंधित पहलुओं पर विशेष ध्यान देने को प्रोत्साहन देती है ।

जिला योजना से सम्बन्धित एक अधिकारी से इस विषय पर सकारात्मक विस्तृत चर्चा के दौरान, कहा, कि हमें ग्रम पंचायत स्तर के प्रपत्र दे दो, तो हम हर पंचायत से जानकारी मंगा देगें, जिसके आधार पर आप योजना बना लेना। वास्तव में जिला वार्षिक कार्ययोजना से सम्बन्धित ऐसा कोई पंचायत स्तरीय प्रपत्र भी जिले में उपलब्ध नहीं था। उक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सहयोगकर्ता अधिकारी ने कई विभागों के साथ सम्पर्क करके, राज्य की मार्गनिर्देशिका मे सुझावित 7 क्षेत्रकों, में पंचायत स्तरीय कार्ययोजना निर्माण के लिए पंचायत स्तरीय योजना प्रपत्र को ड्राफ्ट किया। व्यवहारिकता में, प्रत्येक पंचायत वर्ष के विभिन्न माह में, उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर अलग–अलग विषय पर कार्ययोजना तो बनाती है लेकिन स्वस्थिति विश्लेषण आधारित एक अपनी एकीकृत योजना नहीं। अतः उपरोक्त मद्देनजर पंचायत स्तरीय कार्ययोजना प्रपत्रों की आवश्यकता महसूस की गई। इस कार्ययोजना प्रपत्रप्रपत्र के साथ पंचायत की स्थिति आकंलन करने के लिए संक्षिप्त प्रपत्र, विभिन्न 7 क्षेत्रकों के मापदण्डों (जैसे कितनी जनसंख्या पर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में नयी आंगनबाडी/ मिनी आंगन बाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है......... आदि) हेतु भी प्रपत्र तैयार किये गये । अब क्योकि पंचायत स्तर सम्बन्धित मापदण्ड, स्थिति विश्लेषण और योजना प्रस्ताव प्रपत्र तैयार हो चुके थे, (वास्तव में यह प्रपत्र उतने संशेधित/परिष्कृत नहीं थे, लेकिन सीमित समय में यही संभव हो सका)। तकनीकी सहयोगकर्ता अधिकारी द्वारा, इन प्रपत्रों को प्रत्येक ग्रम पंचायत तक पहुँचवाने, समझवाने और जनपद स्तर पर समेकन करने की आवश्यकता महसूस की गयी।

उपरोक्त सभी तथ्यों और पृष्ठभूमि में, सम्बन्धित तकनीकी सहयोगकर्ता अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष जिला योजना निर्माण की पूर्ण प्रक्रिया और स्थानीय निकायों की भूमिका को एक डाईग्रम के माध्यम से रखा गया। जिला कलेक्टर महोदय ने प्रक्रिया को महत्व देते हुए इसके कियान्वयन की पूर्ण सहमति दी। उक्त प्रक्रिया के ग्रम पंचायत स्तर पर कियान्वयन के लिए जिला योजना सांख्यिकी विभाग, द्वारा विशेष रूप से विभागीय पत्रों आदि के माध्यम से जानकारी दी गयी ।

उपरोक्त प्रक्रिया मे कियान्वयन के लिए जून और जुलाई, 2009 के 2 माह की समय अवधि ही शेष थी । जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक करवायी गयी, और सदस्यों से विकेन्द्रीकृत जिला वार्षिक कार्ययोजना निर्माण की प्रक्रिया को और शशक्त करने मे उनके भूमिका/सहयोग की अपेक्षा रखी गयी। जिला कलेक्टर के द्वारा उपरोक्त पंचायत स्तरीय कार्ययोजना प्रस्तावों के लिए जनपद और ग्रम पंचायत स्तर पर भी संयोजक समीति का भी गठन किया गया । अतः उपरोक्त अनुसार ग्रम पंचायत से कार्य प्रस्तावों के प्राथमिक आकड़े संग्रहण की प्रक्रिया और प्रत्येक स्तर पर इन प्रक्रियाओं के सशक्तिकरण के लिए सहयोगी दल की मुख्य भूतिका थी ।

पंचायत स्तर पर कार्ययोजना निर्माण के लिए यह आवश्यक था कि पहले प्रत्येक पंचायत को पंचायत स्तरीय एकीकृत कार्ययोजना निर्माण के महत्व और सम्बन्धित प्रपत्रों की जानकारी दी जाये। यह भी महत्वपूर्ण कार्य था कि, जिले कि प्रत्येक पंचायत से पंचायत सचिव, सरपंच को प्रशिक्षत कर कार्यप्रस्ताव आमन्त्रित किये जाये। जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जनपद स्तर पर निर्धारित तिथि में पंचायत सचिव व सरपंच के प्रशिक्षण कार्यशाला में आयोजित किये जाने के सन्दर्भ में एक पत्र प्रेषित किया गया। प्रत्येक सम्बन्धित विभाग को यह भी यह सूचना दी गयी थी, कि प्रत्येक सम्बन्धित विभाग अपने योजनाओं के बारे में संक्षेप में बिन्दु रखेगा। इन 1 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला योजना सांख्यिकी विभाग की ओर से एक दल गया, और जिला स्तरीय तकनीकी सहयोगकर्ता अधिकारी ने इन प्रशिक्षणों में मुख्य प्रशिक्षक की भूमिका निभायी । कुछ कार्यक्रमों मे जिला योजना सांख्यिकी अधिकारी भी गये तथा शेष में उनके, विभाग की ओर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी ही गये। साधारणतः जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी की उपस्थिति किन्हीं कारणवश ज्यादातर जनपदों में नहीं हो पायी ।

जनपद स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में मुख्यतः इन बातो/ विषयों को समाहित किया गया – एकीकृत विकेन्द्रीकृत कार्ययोजना में प्रतिभागियों की समझ, जिला वार्षिक कार्ययोजना की प्रकिया, जिला स्तरीय परिकल्पना (विजन) कार्यशाला में तय प्राथमिकतायें, विभिन्न प्रपत्रों पर विवरण आदि। जनपद स्तरीय कार्यशाला मे उपस्थित सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों, ने

विभागीय योजनाओं व मुद्दों की संक्षेप में जानकारी दी। प्रतिभागियों कों विभिन्न प्रपत्रों कों भरने के तरीके समझाते समय उदाहरणतः प्रपत्रों के विभिन्न कालमों को स्पष्ट कराया गया। यथासम्भव सरपंचों और सचिव से खुली चर्चा में प्राप्त शंकाओं और मुदों पर चर्चा कर समाधान करने की कोशिश की गयी। तद्पश्चात सभी पंचायतों को पंचायत स्तरीय कार्ययोजना के लिए मापदण्ड, स्थिति आंकलन और कार्य प्रस्ताव मांग सम्बन्धित प्रपत्रों का प्रदाय करवाया गया।

सम्बन्धित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ने सभी प्रतिभगियों से निर्धारित तिथि तक अपने प्रस्तावों को ग्राम सभा में अनुमोदन पश्चात जनपद में भिजवाने के लिए कहा गया। इन प्रशिक्षणों के दौरान हुई, प्रत्येक जिला स्तरीय, समय सीमा (टी. एल.) बैठक में जिला कलेक्टर महोदय ने, इस बात की जानकारी ली, कि सम्बन्धित जनपद स्तरीय बैठको में विभागों के प्रतिनिधि की भागीदारी कैसी रही। आमतौर पर यह पाया गया कि जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों की भागीदारी काफी सीमित थी। जनपद में भी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा विभागों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता महसूस की गयी ।

जनपद स्तर के ऊपर इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझाया गया कि वह किस प्रकार से योजनाओं को ग्रम पंचायतों से प्राप्त कर इसमें जनपद स्तरीय अतिरिक्त प्रस्ताओं का जुड़ाव कर जिले में भिजवाना सुनिश्चित करेगें । जनपद स्तर से समेकन की प्रकिया और इसके अपेक्षित स्वरूप की कोई मांग तो नही थी, लेकिन तकनीकी सहयोगकर्ता ने भी अपनी ओर से सम्बन्धित जनपद कार्यालय में एक समेकन प्रपत्र वाली सी. डी. दी। समेकन के लिए माउइक्रोसाफ्ट एक्सल वर्कशीट के उपयोग के बारें मे जानकारी दी गयी। यहां यह तथ्य गौर करने योग्य है कि सम्बन्धित जनपद में द्वितीय स्तर पर ऐसा कोई मानव संसाधन नहीं था, जो इन जिला योजना प्रकियाओं से अवगत हो, उनके लिए यह एक अतिरिक्त कार्य के समान था। इस बात की अपेक्षा थी, कि प्रत्येक जनपद से एक समेकित कार्ययोजना जिले में निर्धारित समय अवधि में प्राप्त हो सके।

सभी जनपदो मे प्रशिक्षण होने के बाद, सम्बन्धित जनपद ने अपने – अपने स्तर पर ग्रम पंचायतो की वार्षिक कार्ययोजना को जनपद स्तर पर मंगावकर समेकित किया। जनपद स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों को समय सारणी के अनुसार मात्र एक हफ्ते का ही समय मिला, कि इसको अद्यतन, समीक्षा कर और अन्य जनपद स्तरीय प्रस्तावों को जोडकर जिला भिजवाना सुनिश्चित हो। इतने कम समय मे गुणवत्ता और उचित तरीके से अद्यतन किया जाना भी एक चुनौती थी ।

ग्रामीण निकायों की तरह ही नगर पालिका और नगर पंचायतो से भी वार्ड सभाओं के माध्यम से भी प्रस्ताव लेकर समेकन करने की अपेक्षा थी।

अब क्योकि समय आ गया था, कि प्रस्ताव को जिला स्तर समेकित कर विभिन्न विभागों की योजनाओं से शामिल कर जिला योजना समिति से अनुमोदित करवा कर राज्य में भिजवाया जाये। अतः जिले से जनपदों व नगरी निकायों को फोन और मोबाईल के माध्यम से सम्पर्क किया जाने लगा, कि निश्चित तिथि तक प्रस्ताव जिले में प्रेषित करें । प्रत्येक जनपद ने किसी प्रकार से जल्दबाजी में अपने स्तर से प्रस्ताव जिला स्तर पर भिजवाया। सभी विभागों को जिला पंचायत में आमन्त्रित कर जनपद से आये प्रस्तावों को दिया गया, ताकि विभाग उन्हे योजनाओं मे शामिल कर जिला योजना सांख्यिकी विभाग (नोड़ल विभाग, जिला योजना) को दे पायें ।

जिला स्तर संबंधित तकनीकी सहायक अधिकारी और डाटा एंट्री आपरेटर थे, जिन्होनें किसी प्रकार से प्रस्ताव और विभागीय कार्ययोजना को एक निर्धारित फ्रेमवर्क में डाला। अंततः एक ऐसी 7 क्षेत्रक अनुसार, विभाग अनुसार, कई योजनाओं के टेबल/सारणी तैयार हो पाई जिसमे मुख्यतः बजट से संबंधित जानकारी थी । फिर प्रकिया के अनुसार समेकित जिला वार्षिक योजना की प्रति, जिला योजना समिति के सामने मख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा, रखकर उसे अनुमोदित करवाकर, राज्य योजना मंडल भिजवाया गया। सारी प्रकिया होने के पश्चात, जब इस बात की समीक्षा की जाये, कि जिला वार्षिक योजना की गुणवत्ता क्या है, तो यह बिन्दु सामने आता है कि –

1– कुछ ग्राम पंचायतों से विद्यालयों में शौचालय मरम्मत और शौचालय निर्माण दोंनों के प्रस्ताव आये, जिनमें मनमाने ढंग से आवश्यक राशि की मांग की गई थी। यह संकेत देता है कि प्रस्ताव बनाते समय, वास्तविक स्थिति और सहभागिता को महत्व नहीं दिया गया ।

3– कुछ ग्राम पंचायतों से नये विद्यालय के प्रस्ताव आये थे, जंहा कि पूर्व में भी एक कि.मी. के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय थे। अतः ऐसा महसूस किया गया कि कुछ लोगो ने ही कार्ययोजना निर्माण कर औपचारिकता निभायी थी।

4–कई कार्यों में अनुमानित लागत और कार्यों की तकनीकी व्यवहार्यता एक मुद्दा थी। यह इंगित करता है कि विकेन्द्रीकरण कि अपेक्षा रखना एक मुद्दा है और ग्राम/पंचायत स्तर पर योजना निर्माण के लिए उचित मार्ग निर्देशन और तकनीकी सहयोग को सुनिश्चित करना एक अलग, विशेष महत्व का कार्य है।

4–कुछ जनपद में आंकलन यह ज्ञात हुआ कि कार्य प्रस्ताव ग्राम सभा से न आकर सरपंच/सचिव के माध्यम से भरकर जमा करवाये गये। अत: लगातार आवश्यक सहयोग के साथ, एकीकृत जिला योजना के प्रति गम्भीरता उत्पन्न करना, विभागीय पत्रों के अलावा जरूरी है ।

5– पूरी प्रकिया में यह कमी महसूस हुई कि, ग्राम पंचायत, जनपद आदि स्तर से कोई औचित्य/ स्थिति विश्लेषण आधारित मांग सामने नही आयी। अतः औचित्य पूर्ण पंचायत स्तरीय कार्ययोजना निर्माण के लिये एक सशक्त स्थिति विश्लेषण के महत्व को पंचायत स्तरीय सदस्यो/ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के माध्यम से समझाईस दिया जाना आवश्यक है । 6– विभिन्न स्तर पर गठित संयोजक समिति की भूमिका साधारणतः एक औपचारिकता ही थी, क्योंकि जिला कार्ययोजना को विभिन्न स्तरो पर उचित प्राथमिकता नही मिल पाती है । एक मुख्य चुनौती यह थी कि प्रत्येक स्तर पर कार्यरत अधिकारी/स्टाफ आश्वस्त नही थे, कि इस योजना के अनुरुप धनराशि प्राप्त होगी या नही जो कि एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का बिन्दु होता है।

7– प्रत्येक स्तर पर उचित क्षमता निर्माण और स्पष्टता के अभाव में ज्यादातर प्रस्ताव या तो शामिल नही हो पाये या अगर हो भी पाये तो इन्हें किसी स्कीम में समायोजन किया जाना, एक समय लेने वाला, चुनौतिपूर्ण व महत्वपूर्ण कार्य था।

8– साधारणतः इस प्रक्रिया में कार्यरत स्टाफ केवल जिला योजना निर्माण के समय ही इन गतिविधियों व प्रकियाओ से जुड़ पाया। विभिन्न स्तरों पर जिला योजना निर्माण, एक सतत् प्रक्रिया के रुप में नही है, और न ही प्रत्येक स्तर पर इस महत्वपूर्ण आवश्यकता के लिए समर्पित (Dedicated) स्टाफ है ।

9–जिला योजना निर्माण में जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण, प्रमाणिक व अद्यतन आकड़ों का अभाव भी जिला योजना निर्माण में चुनौती के रूप मे सामने आता है । वास्तव में एक क्षेत्रक में कई विभाग कार्यरत हैं अतः आंकणे सामान्यताः एकल खिडकी (स्थान) पर तुरन्त सन्दर्भ के लिए उपलब्ध होना भी आवश्यक है ।

10–पंचायत स्तर पर भी एकीकृत योजना निर्माण प्रक्रिया को सतत् प्रक्रिया के रूप मे नही देखा जाता है और इसके लिये उन प्रक्रियाओ को मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे पंचायते अपने स्तर पर ही एक समावेशी, एकीकृत (सभी क्षेत्रको से संबंधित) योजनाये बना सकें । साथ में यह भी जरूरी है कि पंचायते अपने स्तर प्रत्येक क्षेत्रक की योजना निरंतर अद्यतन किया करें। यहा पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि क्या पंचायत सचिव इस कार्य को करने के लिये सक्षम हैए या उनकी क्षमता वृद्वि आवश्यक है। यह भी सोचा जा सकता है कि यदि एकीकृत समावेशी योजना का विशेष महत्व है तो समबंधित आकडों का पंचायत स्तर पर निरंतर आकणे एकत्रितकरण, विष्लेषण और योजना निर्माण के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी नियुक्त किये जाये । इसकी लागत जिला वार्षिक कार्ययोजना का .5 प्रतिशत के बराबर राशि से हो सकता है ।

11– उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान यह महसूस किया गया कि मात्र जिला योजना निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक स्तर पर वर्ष के मात्र कुछ महीनों में विशेष प्रयास किये जाते हैं । प्रति वर्ष प्रत्येक पंचायत से प्रस्ताव लेने का औचित्य कहां तक सही जब न तो इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन, आर्थिक संसाधन, क्षमता निर्माण और एक वृहद स्त्रोत का प्रायः अभाव है।

12– क्योंकि जिला वार्षिक कार्ययोजना मे प्रस्ताव एक वर्ष पश्चात की गतिविधि के लिये जाते है, अतः इस हेतु योजना निर्माण के लिये एक ग्राम पंचायत/ग्राम स्तरीय विजन होना आवश्यक है ।

13– विकेन्द्रीकृत एकीकृत योजना, एक ऐसी प्रक्रिया भी नही है जो मात्र कुछ वर्षों में ही धरातल दिख पाये। संविधान के अनुच्छेद 243ZD (जिला योजना समिति), 73वें और 74वें संविधान संशोधन, अनुसूचित क्षेत्रो में पंचायती राज व्यवस्था विस्तार (PESA) आदि के पीछे की मनसा को जनपद, ग्राम पंचायत एवे ग्राम स्तर तक लाने के लिये ईमानदार प्रयासों और अधिक क्षमता वृद्वि और निवेश की आवश्यकता है।

14– जब किसी स्कीम/योजना को प्रारम्भ किया जाता है तो मार्ग निर्देशिका/प्रक्रियायें आदि में भी उर्ध्वाधर (वर्टिकल) रुप से हो निर्धारित कर दी जाती हैं। ये योजना संबधित प्रक्रियायें, और पात्रता आदि कई बार, स्थानीय आवश्यकता/मांग के अनुरूप नही होती है। ग्राम स्तरीय एकीकृत प्रस्ताव तो स्कीम/योजना के रुप में नहीं आ पाते हैं। वास्तव में विकेन्द्रीकृत योजना निर्माण में शायद पंचायतो को यह कहना किस हद तक सार्थक है कि एक कार्य को योजना मे प्रस्तावित कर सकते है और दूसरे को नहीं, क्योकि वह योजना की शर्तें पूरी नही करता। अतः ऐसी एक प्रक्रिया हो जिसके माध्यम से, स्थानीय आवश्यकतायें या तो योजनाओं में शामिल की जा सकें और जिन कार्यों के लिए योजना को शामिल करना संभव न हो सके उन्हें अतिरिक्त कार्य के रुप में लिया जाये। लेकिन यह कार्य उतना आसान नहीं हो सकता है जितना दिखने में लगता है, इसके लिये निरंतर प्रयासो कि आवश्यकता है ।

15– यदि ग्राम पंचायतो से कार्ययोजना को बिना प्रपत्र/अव्यवस्थित रुप से लिया जाये तो उन्हें समेकित करने में कई परेशानियों का सामाना करना पढ़ सकता है। अतः एक व्यवस्थित प्रपत्र की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है।

विगत कुछ वर्षों के अनुभव के आधार पर यह कह सकते हैं कि जिले के सन्दर्भ में, अभी विकेन्द्रीकृत, एकीकृत योजना निर्माण के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को वास्तविकता में परिणित करने में अभी समय लग सकता है ।

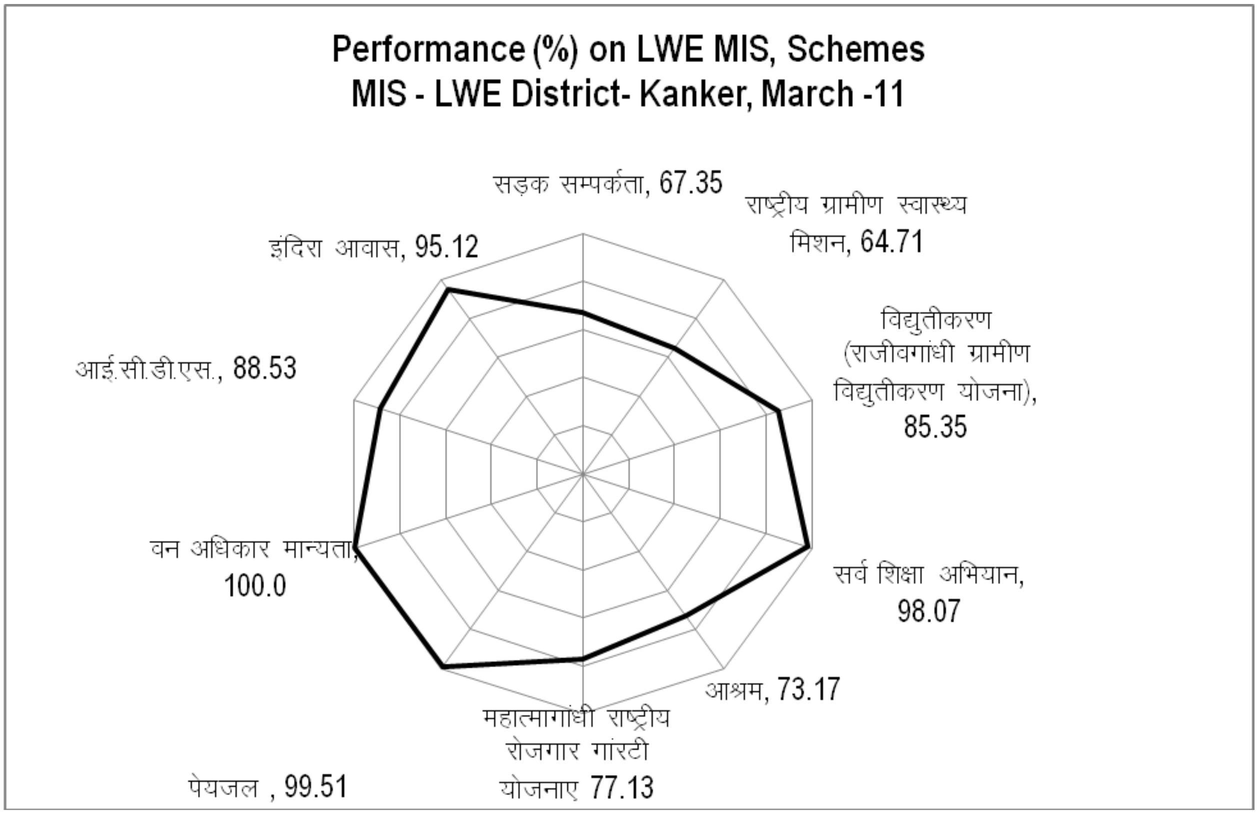

आई.ए.पी., वर्ष 2010–11 जिला– उत्तर बस्तर कांकेर

<u>सेक्टर वाईज कार्य की प्रगति का संक्षिप्त विवरण</u> – April, 2011

		Data					(रू. लाख में)				
		भौतिक					वित्तीय				
क. सं.	सेक्टर	भौतिक–स्वीकृत	भौतिक–पूर्ण	कार्य प्रगति पर	पूर्ण + प्रगति	कुल प्रारंभ %	कुल अप्रारंभ	कुल स्वीकृत राशि	स्वीकृत %	कुल व्यय राशि	व्यय % सेक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सम्पर्कता	119	70	49	119	100.00	0	799.43	31.68	538.25	**67.33**
2	पेयजल एवे स्वच्छता	93	82	11	93	100.00	0	179.06	7.10	145.44	**81.22**
3	शिक्षा	114	57	57	114	100.00	0	608.23	24.10	273.04	**44.89**
4	ऊर्जा	6	2	4	6	100.00	0	99.40	3.94	69.40	**69.81**
5	स्वास्थ्य	41	7	34	41	100.00	0	170.28	6.75	60.52	**35.54**
6	अद्योसंरचना	25	7	18	25	100.00	0	463.27	18.36	299.55	**64.66**
7	आजीविका	2	0	2	2	100.00	0	30.00	1.19	12.80	**42.67**
8	महिला एवं बाल विकास	58	3	55	58	100.00	0	174.00	6.89	67.15	**38.59**
	योग	**458**	**228**	**230**	**458**	**100.00**	**0**	**2523.68**	**100.00**	**1466.14**	**58.10**

	प्रतिशत		**49.78**	**50.22**	**100.00**		**0.00**			**58.10**	